



2026:AHC:14317

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45421 वर्ष 2025

सारुख उर्फ शाहरुख

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	अजीत कुमार सिंह चौहान
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह चौहान तथा राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483 भा०न०सु०सं० अभियुक्त-आवेदक सारुख उर्फ शाहरुख की ओर से थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर में गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 5/8 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2019 का 129 में जमानत पर रिहाई की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा आलिप्त किया गया है और दिनांक 14.11.2025 से वह कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त इकबाल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 57944 में दिनांक 03.01.2020 को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और जमानत पर रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की याचना की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचना का विरोध किया है, किन्तु वे उपरोक्त तथ्य को विवादित नहीं कर सके।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, पुष्टिकर साक्ष्य की प्रकृति, गवाह से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक सारुख उर्फ शाहरुख को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाये।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्रवाई करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

20 जनवरी, 2026

विनोद/

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।